न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0अली**

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–2163–दो/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–03–2012 पारित द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त सीतापुर, तहसील मऊगॅज के प्रकरण क्रमांक–12/अ–5/2011–12

....

सिंगलेश्वर सिंह पिता सियादुलारे सिंह
निवासी–ग्राम कंजरा थाना लौर तहसील मऊगंज
जिला–रीवा(म0प्र0)

——————आवेदक

विरूद्ध

1– शासन मध्यप्रदेश

2– जगन्नाथ सिंह तनय हरपाल सिंह
निवासी–ग्राम तिलवा सीतापुर तहसील मऊगंज
जिला–रीवा(म0प्र0)

——————अनावेदकगण

....

श्री अनिल द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 07/6/17 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार वृत्त सीतापुर, तहसील मऊगॅज द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–03–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि नायब तहसीलदार वृत्त सीतापुर तहसील मऊगंज ने प्रकरण क्रमांक 12/अ–5/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 22.03.2012 से ग्राम

 प्र0क्र0 निग0 2163–दो/2012

सीतापुर की भूमि सर्वे क्रमांक 129/9 का नक्शा तर्मीम करने बावत निर्णय लिया है जो मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 68 सहपठित धारा 70 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन है । संहिता की धारा 68 सहपठित धारा 70 के अंतर्गत पारित आदेश अपील योग्य आदेश है। तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा उक्त धाराओं के अंतर्गत पारित आदेश के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 44 के अंतर्गत प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी के समक्ष होगी, जबकि नायब तहसीलदार वृत्त सीतापुर तहसील मऊगंज के प्रकरण क्रमांक 12/अ–5/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 22.03.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो सुनवाई योग्य नहीं है । विचाराधीन निगरानी राजस्व मण्डल में दिनांक 12.06.2012 को प्रस्तुत हुई है। यदि आवेदक चाहे तब इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने के उपरांत 15 दिवस के भीतर सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सुनवाई योग्य न होने से इसी स्तर पर निरस्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,